भारतीय होटल निगम लिमिटेड

विषय - सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक-मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	7
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	8
5.	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	12
6.	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	13
7.	नकदी प्रवाह विवरण	14
8.	तुलन-पत्र व लाभ और हानि लेखे के भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां	15
9.	वार्षिक लेखे के अनुलग्नक	31
10.	दस वर्षीय सांख्यिकी	33

निदेशक-मंडल (29-12-2010 को)

श्री अरविन्द जाधव — अध्यक्ष

श्री ई. के. भारत भूषण

श्री प्रशांत सुकुल

कंपनी सचिव

सुश्री श्यामला पी. कुंदर

लेखापरीक्षक

मैसर्स सिंग्रोडिया गोयल एण्ड कंपनी

सॉलिसिटर्स

मैसर्स एम. वी. किणी एण्ड कंपनी

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

एक्सिस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

पहली मंज़िल, ट्रांसपोर्ट एनैक्सी बिल्डिंग,
एअर इंडिया कॉम्प्लैक्स, ओल्ड एअरपोर्ट,
सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई-400 029.

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी उनतालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

वित्तीय परिणाम :

वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
कुल राजस्व	**4128.51**	4905.23
कुल प्रचालन व्यय	**6690.58**	6494.58
सकल प्रचालन लाभ/(हानि)	**(2562.07)**	(1589.35)
ब्याज	**30.77**	0.00
नकद लाभ/(हानि)	**(2592.84)**	(1589.35)
मूल्यह्रास	**232.09**	220.49
असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(2824.93)**	(1809.84)
असाधारण मदें	**20.33**	27.67
पूर्वावधि समायोजन	**65.87**	11.58
असाधारण मदों के बाद किंतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(2911.13)**	(1849.09)
फ्रिंज बेनिफिट कर	**-**	12.31
कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि)	**(2911.13)**	(1861.40)

सिंहावलोकन :

- वर्ष के दौरान, सेंटॉर दिल्ली के 127 अतिथि कमरों, हेल्थ क्लब तथा अन्य संबंधित कार्यों के नवीकरण का 0.32 करोड़ रुपए की सीमा तक अतिरिक्त पूंजीकरण किया गया। अतः नवीकरण के लिए कुल पूंजीकरण 9.39 करोड़ रुपए है। तदनुसार, मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया।
- कुल राजस्व, 4905.23 लाख रुपए की तुलना में घटकर 4128.51 लाख रुपए हो गया है, जो वर्ष 2008-09 से 776.72 लाख रुपए (16%) कम है। यह मुख्यतः सेंटॉर दिल्ली में पिछले वर्ष के 46% से वर्ष 2009-10 में 33% ऑक्यूपेन्सी के घटने के कारण और 2008-09 में नैसिल (ए) की प्रति सप्ताह 64 उड़ानों से 2009-10 में प्रति सप्ताह 42 उड़ानों तक घटने से शैफेयर मुंबई के केटरिंग राजस्व में भी 34% की कमी हुई। नैसिल (आई) की उड़ानें 16.11.09 से शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई को दी गई। 31.03.2010 तक नैसिल (आई) की 40 उड़ानों के लिए खानपान प्रबंध किया गया, जिससे वर्ष 2009-10 में प्रति सप्ताह केवल 3.25 लाख रुपए का राजस्व प्रतिफल प्राप्त हुआ।
- कुल व्यय में 6690.58 लाख रुपए, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 196.00 लाख रुपए (3%) की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः नैसिल के अनुरूप होने के लिए लेखाकरण नीति में प्रावधान करने के लिए हुए परिवर्तन के कारण 119 लाख रुपए के अशोध्य ऋणों के प्रावधान में हुई वृद्धि के कारण है।
- उपर्युक्त को देखते हुए, पिछले वर्ष की 1589.35 लाख रुपए की सकल प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष सकल प्रचालन हानि 2562.07 लाख रुपए है।
- पिछले वर्ष की 1861.40 लाख रुपए की कर पश्चात् निवल हानि की तुलना में इस वर्ष कर पश्चात् निवल हानि 2911.13 लाख रुपए है।

कंपनी का इकाईवार निष्पादन निम्नानुसार है :

सेंटॉर होटल दिल्ली एअरपोर्ट :

इस इकाई ने पिछले वर्ष 2067.6 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 1710.53 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17.28% की कमी हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष 2340.32 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 2427.44 लाख रुपए है।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष 273.06 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 716.91 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 392.92 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 865.44 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 413.14 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 871.62 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर :

इस इकाई ने पिछले वर्ष 655.12 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 709.08 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 8.24% वृद्धि हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष 826.29 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 912.94 लाख रुपए है।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष 171.17 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 203.86 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 208.35 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 231.71 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 215.92 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 245.11 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई :

इस इकाई ने पिछले वर्ष 1096.17 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 736.67 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 33% की कमी हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष 1819.62 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष थोड़ा अधिक यानी 1856.42 लाख रुपए रहा।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष 723.45 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 1119.75 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 756.36 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 1166.68 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद इकाई को पिछले वर्ष 758.61 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 1169.74 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली :

इस इकाई ने पिछले वर्ष 292.88 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 352.58 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 59.70 लाख रुपए (20%) की वृद्धि हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष 1006.88 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 1047.34 लाख रुपए हुआ।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष 714 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 694.76 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 740.89 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 730.82 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 742.10 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 730.82 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

वार्षिक योजना परिव्यय 2009-10 :

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 15 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन दिया था। 3.50 करोड़ रुपए का वास्तविक परिव्यय मुख्यतः सेंटॉर, दिल्ली में अतिथियों के कमरों का नवीकरण और अन्य संबंधित कार्य तथा अन्य सामान्य पूंजीगत वचनबद्धताओं के लिए था।

भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार :

कंपनी भूतपूर्व सैनिकों के रोज़गार के लिए इस संबंध में सरकार से प्राप्त निदेशों का अनुपालन करती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को रोज़गार :

भारतीय होटल निगम की छः इकाइयों में से तीन इकाइयों के विनिवेश के बाद भरती पर प्रतिबंध था, अतः कोई भरती नहीं की गई। तथापि, कंपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की पदोन्नति में पदों के आरक्षण के लिए सरकारी निदेशों का पालन करती है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन किया गया।

प्रशिक्षण एवं विकास :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सभी स्तरों पर आधुनिक प्रबंधन, तकनीकी परिकल्पना और होटल उद्योग में अद्यतन उन्नयन हासिल करने के लिए विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों के माध्यम से और कई एजेंसियों द्वारा आयोजित अनेक तरह के अल्पावधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में अपने कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराया।

सतर्कता :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय होटल निगम की सभी इकाईयों में आवधिक आकस्मिक जांच एवं निरीक्षण किए गए। प्रशासन विभाग से प्राप्त निर्विष्टियों पर आधारित विभिन्न एजेंसियों को रिपोर्ट भिजवाई गई। वर्ष के दौरान, निविदा/क्रय प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों में समय-समय पर प्रक्रियागत सलाह दी गई। 3 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2009 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

विदेशी दौरे :

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत किसी प्रकार का व्यय नहीं किया।

कार्मिक :

31 मार्च, 2010 को कंपनी के पे रोल पर कुल 1382 कर्मचारी थे, जबकि 31 मार्च, 2009 को कंपनी के मुख्य कार्यालय / विभिन्न इकाईयों में 1439 कर्मचारी थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों से प्रबंधन का संबंध अच्छा एवं सद्भावपूर्ण रहा।

वेतन समझौता :

सभी यूनिटों के यूनियन श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न यूनियनों के साथ वर्ष 2002 से 2006 तक की अवधि के लिए हस्ताक्षरित वेतन समझौता पहले ही निष्पादित किया गया है और जनवरी, 2007 से नया वेतन संशोधन लंबित है।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी कर्मचारी प्रतिमाह रु.2,00,000/- से अधिक वेतन नहीं पाता था।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :

पिछले वर्ष 114.05 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा अर्जन की तुलना में इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 91.71 लाख रुपए था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय नहीं किया गया।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी संविलयन :

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी जाती है। ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऑटोमेशन एवं बेहतर नियंत्रण से ऊर्जा संरक्षण संभव हो सका है।

कंपनी की अनुसंधान और विकास की गतिविधि न होने के कारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ङ) के अनुसरण में संबद्ध नियमों के फार्म बी के अंतर्गत अपेक्षित विवरण नहीं दिया गया है। कंपनी सेवा उद्योग में होने के कारण, प्रौद्योगिकी संविलयन, अनुकूलन या उन्नयन का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय होटल निगम लिमिटेड की शेष इकाइयों की स्थिति :

शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई :

नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई (सीएफसीएम) और सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर (सीएलवीएच) को प्रबंधन संविदा के अधीन देने का निर्णय हुआ था। प्रबंधन संविदा के आधार पर होटल और फ्लाइट किचन चलाने हेतु पार्टियों के चयन के लिए मैसर्स भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (टीएफसीआई) को प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। टीएफसीआई ने इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की थीं। शॉर्ट लिस्टेड चार पार्टियों में से, एक को उपयुक्त नहीं पाया गया और उसे हटाया गया तथा एक और पार्टी ने परियोजना में बने रहने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। अंत में, शॉर्ट लिस्टेड दो पार्टियों ने वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत नहीं कीं, अतः यह प्रक्रिया पुनः असफल हो गई।

सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर :

जैसाकि निदेशक-मंडल ने अनुमोदित किया था, मैसर्स टीएफसीआई द्वारा सेंटॉर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच), श्रीनगर के लिए पुनः बोली प्रक्रिया आरंभ की गई और इसके प्रत्युत्तर में 3 बोलियां प्राप्त हुई थीं। तीन बोली लगाने वालों में से, केवल दो को पात्र पाया गया, जिन्होंने टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया था और तत्पश्चात् सम्यक उद्यम आयोजित किया। तत्पश्चात, बोली लगाने वाले केवल एक यानी मैसर्स बीडी एण्ड पी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय बोली प्रस्तुत की। बोर्ड के निदेशानुसार, एकमात्र बोली लगाने वाले से प्राप्त वित्तीय बोली को स्वीकृत किया गया और कई बार बैठकें करने के बाद कंपनी तथा मैसर्स बीडी एण्ड पी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 15 सितम्बर, 2010 को प्रबंधन संविदा की गई। संविदा के निबंधनों के अनुसार, संविदा के निष्पादन के 30 दिनों के भीतर इकाई को हस्तांतरित करना आवश्यक था।

प्रसंगवश, सीएलवीएच की कुछ यूनियनों (यानी सेंटॉर होटल एम्प्लॉइज़ यूनियन, श्रीनगर एवं सेंटॉर होटल ऑफिसर्स वेल्फेयर एसोसिएशन, श्रीनगर) ने उपर्युक्त के संबंध में कार्यवाहियों के अंतरिम आस्थगन के लिए निवेदन के साथ प्रबंधन संविदा के अंतर्गत इकाई सौंपने के प्रस्ताव के विरुद्ध जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की लंबित सुनवाई तक अंतरिम रोक आदेश पारित किया। तदनुसार, रोक आदेश के कारण हुई 'अपरिहार्य घटना' की स्थिति तथा रोक आदेश के समाप्त होने तक संपत्तियों को सौंपने में हो रहे विलंब के बारे में मैसर्स बीडी एण्ड पी होटल्स को सूचित किया गया।

सेंटॉर होटल दिल्ली एवं शैफेयर दिल्ली :

127 अतिथि कमरों, हेल्थ क्लब के नवीकरण और अन्य संबंधित कार्यों (अर्थात् एसी प्लांट, डीजी सेट इंजन, लिफ्ट) को करने के पश्चात्, दो एसी प्लांट को बदलने का कार्य पूरा किया गया व उन्हें शुरू किया गया तथा नवीकरण किए गए सभी कमरों का उपयोग शुरू किया गया।

विनिवेश के बाद के मुद्दे :

सेंटॉर होटल, मुंबई एअरपोर्ट की निवल चालू परिसंपत्तियों के निपटान के मुद्दों एवं अन्य दायित्वों के संबंध में मामला विवादित था और क्रेता द्वारा उठाए गए विवाद को विवाचन को भेजा गया। विवाचन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अंतिम अधिनिर्णय की प्रतीक्षा है।

सेंटॉर होटल जुहू बीच के मामले में, मंत्रालय द्वारा नियुक्त एकमात्र विवाचक, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार, तीन विभिन्न मुद्दों से संबंधित मामला कार्यपालक निदेशक-वित्त और कंपनी सचिव, नैसिल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पीटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड के साथ कई बैठकें हुईं तथा विवादित मुद्दे कम किए गए तथा अंतिम निपटान की प्रतीक्षा है।

निदेशक :

वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड में निम्न सदस्य थे :

श्री अरविन्द जाधव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	अध्यक्ष
कमोडोर डी. जेना	-	प्रबंध निदेशक (30 अप्रैल, 2010 तक)
श्री ई. के. भारत भूषण अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक
श्री प्रशांत सुकुल संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक

कमोडोर डी. जेना के एचसीआई के प्रबंध निदेशक पद से 30 अप्रैल, 2010 से अधिवर्षिता के कारण नागर विमानन मंत्रालय ने तारीख 29.04.2010 के आदेश एफ. सं. एवी.18014/01/2005-एआई द्वारा श्री अरविन्द जाधव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नैसिल को 01 मई, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक या नियमित प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का निर्णय लिया। नैसिल के अध्यक्ष भारतीय होटल निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष हैं।

अपने सेवाकाल के दौरान बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में कमोडोर डी. जेना द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवा के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

1 नवम्बर, 2010 को बोर्ड में निम्न सदस्य थे :

श्री अरविन्द जाधव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	अध्यक्ष
श्री ई. के. भारत भूषण अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक
श्री प्रशांत सुकुल संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2कक) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

वार्षिक लेखों को तैयार करने में, वास्तविक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखाकरण मानक अपनाए गए थे।

निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार प्रयुक्त किया है तथा ऐसे निर्णय लिए और आकलन किए हैं, जो औचित्यपूर्ण एवं सही हैं, ताकि वे 31 मार्च, 2010 को कंपनी के क्रियाकलापों तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि लेखे का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शा सकें।

निदेशकों ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और योग्यता के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

निदेशकों ने सतत सरोकार के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

लेखापरीक्षा समिति :

वर्ष 2009-10 में, लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

श्री ई. के. भारत भूषण अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	-	अध्यक्ष
श्री अरविन्द जाधव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	सदस्य
श्री प्रशांत सुकुल संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	-	सदस्य
सुश्री श्यामला पी. कुंदर	-	सचिव

लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम, कुल संख्या का एक तिहाई या 2, जो भी अधिक हो, होगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक हुई थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

जहां तक सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों का संबंध है, लेखों की टिप्पणियों से प्रबंधन की स्थिति स्पष्ट होती है।

लेखापरीक्षक :

मैसर्स सिंघ्रोडिया गोयल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, जो कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक हैं, कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण बैठक तक सेवानिवृत्त होंगे। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स आर के जे के खन्ना और सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी के एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप मे नियुक्त किया गया है।

आभार :

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए निदेशक उनकी प्रशंसा करते हैं। बोर्ड, नागर विमानन मंत्रालय और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं बैंकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
तारीख : 23 दिसम्बर, 2010

भारतीय होटल निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी तारीख 25 नवम्बर, 2010 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा की है। मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कोई अहम सूचना नहीं आई है, जिस पर मुझे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक सूचना देनी आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
सरित अफा
प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II, मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 दिसम्बर, 2010

भारतीय होटल निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर विचार प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

1. हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों का समर्थन करने वाले प्रमाणों का परीक्षण करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करने के साथ-साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी जो राय व्यक्त की है, हमारी लेखापरीक्षा में उसका एक उचित आधार विद्यमान है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 और उनके संशोधनों द्वारा यथापेक्षित, हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक में इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।

3. उपर्युक्त पैरा (2) में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के अलावा, हम सूचित करते हैं कि :

   क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा-बहियां रखी हैं;

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों से मेल खाते हैं;

   घ) भारत सरकार द्वारा जारी तारीख 21 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) के अनुसरण में सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ:) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

   ङ) अनुसूची 20 की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

      i. *नोट सं. 2 (ख) - मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पट्टा किराए और टर्नओवर शुल्क के रूप में देय कुल 2,227.47 लाख रुपए की राशि का प्रावधान न करने के बारे में*

      ii. *नोट सं. 7 - शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली की 334.32 लाख रुपए की राशि अनंतिम आधार पर राजस्व लेखांकन के बारे में*

      iii. *नोट सं. 10 - विविध देनदार, विविध लेनदार, देनदारों से अग्रिम तथा ऋण और अग्रिम एवं कुछ बैंक खाते पुष्टिकरण तथा समाधान के तहत हैं और लेखा-बहियों के अनुरूप होने के बारे में*

      iv. *नोट सं. 19 - भविष्य निधि के भुगतान में विलंब और उस पर ब्याज और दंड का प्रावधान न करने के बारे में*

   च) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) में संदर्भित लागू लेखाकरण मानकों के तथ्यपरक पहलुओं का पालन करते हैं;

   छ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखों पर वर्णित टिप्पणियों के साथ पठित विषयगत लेखे, कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार अपेक्षित तरीके से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा उपर्युक्त पैरा (ङ) में हमारी टिप्पणियों के अधीन सभी आवश्यक सूचनाएं देते हैं एवं निम्नलिखित के संबंध में सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :-

      i. तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2010 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का;
      ii. लाभ और हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि का; और
      iii. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह का ।

कृते सिंग्रोडिया गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
श्यामरतन सिंग्रोडिया
भागीदार
सदस्यता सं. 49006

स्थान : मुंबई
तारीख : 25 नवम्बर, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा (2) में संदर्भित

कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 और उसके संशोधनों की अपेक्षानुसार तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसरण में और लेखा-बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांचों के आधार पर, जिसे उचित समझा गया, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और स्थानों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सामान्यतः उपयुक्त रिकॉर्ड रखे हैं।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा किसी भी अचल परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग को नहीं बेचा है और कंपनी की सतत सरोकार की वैधानिक स्थिति पर कोई परिणाम नहीं हुआ है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान, समुचित अंतरालों पर इन्वेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

(ख) प्रबंधन द्वारा अनुसरित इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के संबंध में समुचित और पर्याप्त हैं।

(ग) कंपनी ने, अपनी इन्वेंटरी के समुचित रिकॉर्ड रखे हैं। बुक-रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(iii) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल होल्डिंग कंपनी को ऑन कॉल बेसिस अरक्षित ऋण दिया है। वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 475.00 लाख रुपए थी और वर्ष के अंत में शेष शून्य रुपए था।

(ख) ब्याज की दर और अन्य निबंधन और शर्तें, जिन पर ऐसा ऋण दिया गया है, *प्रथम दृष्टया* कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त पैरा (iii) (क) और (ख) में दी गई हमारी टिप्पणियों को देखते हुए विषयगत आदेश के खंड 4(iii) (ग) और (घ) लागू नहीं होते हैं।

(घ) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं लिया है। अतः विषयगत आदेश के खंड 4(iii) (च) और (छ) कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल तथा सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। तथापि, सेंटॉर होटल, दिल्ली, शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली और शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई में इन्वेंटरी और अचल परिसंपत्तियों की खरीद के बारे में क्रय आदेश बनाने के लिए आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रमुख कमियों को सुधारने के संबंध में कोई अन्य सतत विफलता नहीं पाई है।

(v) सरकारी कंपनी होने के कारण, संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में किए गए संव्यवहार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज़ करना ज़रूरी नहीं है।

(vi) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vii) कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में उपयुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

(viii) केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत कंपनी के लिए लागत रिकॉर्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

(ix) क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार, भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं उपकर सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा की गई हैं। तथापि, शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई के मामले में भविष्य निधि के भुगतान में काफी विलंब हुआ है। हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सांविधिक देय राशियों के संबंध में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, 1.60 लाख रुपए की सेवा कर देयता, जिस तारीख से वह देय हो जाती है, उस तारीख से छः मास से अधिक अवधि के लिए अविवादित राशियां बकाया नहीं हैं।

(ख) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और उपकर का विवरण नीचे दिया गया है, जिन्हें संबंधित प्राधिकारियों के पास किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है :

परिनियम का नाम	देय राशियों का प्रकार	विवादित राशि (लाख रुपए में)	राशि से संबंधित अवधि	फोरम, जहां विवाद लंबित है
बिक्री कर				
बिक्री कर	कर	7.00	1992-93	महाराष्ट्र बिक्री कर अधिकरण
	दंड	5.27		
	घटाएं : प्रदत्त	4.00		
	निवल राशि	**8.27**		
बिक्री कर	कर	14.34	1993-94	महाराष्ट्र बिक्री कर अधिकरण
	दंड	10.91		
	घटाएं : प्रदत्त	7.50		
	निवल राशि	**17.75**		
बिक्री कर	कर	1.30	1999-00	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	0.82		
	घटाएं : प्रदत्त	0.70		
	निवल राशि	**1.42**		
बिक्री कर	कर	18.93	2000-01	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	0.29		
	दंड	0.02		
	घटाएं : प्रदत्त	10.00		
	निवल राशि	**9.24**		
बिक्री कर	कर	1080.92	2001-02	महाराष्ट्र बिक्री कर अधिकरण
	ब्याज	389.26		
	दंड	1.24		
	घटाएं : प्रदत्त	25.00		
	निवल राशि	**1446.42**		
बिक्री कर	कर	645.14	2002-03	महाराष्ट्र बिक्री कर अधिकरण
	ब्याज	232.64		
	दंड	0.10		
	घटाएं : प्रदत्त	शून्य		
	निवल राशि	**877.88**		
सुख-साधन कर				
सुख-साधन कर	कर	1.35	1996-97	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	0.21	1997-98	
	दंड	0.04	1999-00	
	घटाएं : प्रदत्त	शून्य		
	निवल राशि	**1.60**		
सुख-साधन कर	कर	65.05	2000-01	अपर बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	93.32		
	दंड	0.08		
	घटाएं : प्रदत्त	0.19		
	निवल राशि	**158.26**		
सुख-साधन कर	कर	19.84	2002-03	बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	20.76		
	दंड	1.00		
	घटाएं : प्रदत्त	शून्य		
	निवल राशि	**41.60**		
संपत्ति कर	कर	568.47	1985-86 से 2000-01	जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय

व्यय कर	ब्याज	3.74	1996-97	संयुक्त आयुक्त-परिशोधन
आयकर	कर	29.09	1981-82	आयकर अपील अधिकरण
आयकर	कर	41.90	1996-97	आयकर आयुक्त अपील
आयकर	कर	624.03	2003-04	आयकर आयुक्त (क) VIII

(x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी को संचित हानि हुई है और वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी हानियां हुई हैं।

(xi) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी देय राशि के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

(xiii) चिट फंड, निधि या म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी पर लागू किसी विशेष परिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों का लेन-देन या सौदा नहीं करती है।

(xv) कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई मियादी ऋण नहीं लिया है / प्राप्त नहीं किया है।

(xvii) कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर ली गई निधि को दीर्घावधि निवेश के लिए प्रयुक्त नहीं किया है।

(xviii) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) आबंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से कोई धन एकत्र नहीं किया है।

(xxi) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण परिपाटी के अनुसरण में की गई कंपनी की लेखा-बहियों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का न तो कोई मामला पाया गया है या सूचित किया गया है और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किन्हीं मामलों की सूचना हमें दी गई है।

कृते सिंग्रोडिया गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
श्यामरतन सिंग्रोडिया
भागीदार
सदस्यता सं. 49006

स्थान : मुंबई
तारीख : 25 नवम्बर, 2010

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
I. निधियों के स्रोत :					
1. शेयर धारकों की निधियां :					
क) शेयर पूंजी	1		4,060.00		4,060.00
ख) आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2		0.00		1,156.07
2. ऋण निधि :					
क) रक्षित ऋण	3		520.26		0.00
कुल			4,580.26		5,216.07
II. निधियों का उपयोग :					
1. अचल परिसंपत्तियां					
सकल ब्लॉक	4	8,269.54		8,181.52	
घटाएं : मूल्यह्रास		4,576.08		4,347.62	
निवल ब्लॉक		3,693.46		3,833.90	
चालू पूंजीगत कार्य		20.71		109.10	
			3,714.17		3,943.00
2. निवेश	5		0.47		0.47
3. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
क) इन्वेंटरी	6	228.29		266.86	
ख) विविध देनदार	7	695.62		1,089.88	
ग) नकद एवं बैंक शेष	8	888.57		1,219.25	
घ) ऋण एवं अग्रिम	9	4,055.52		4,613.27	
		5,868.00		7,189.26	
घटाएं : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान					
क) वर्तमान देयताएं	10	4,295.03		3,665.11	
ख) प्रावधान	11	2,462.40		2,251.55	
		6,757.43		5,916.66	
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां			(889.43)		1,272.60
4. लाभ और हानि लेखा (नामे शेष)	12		1,755.06		0.00
कुल			4,580.26		5,216.07
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	19				
लेखों पर टिप्पणियां	20				

ऊपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।
हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सिंघोडिया गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
श्यामरतन सिंघोडिया
भागीदार
सदस्यता सं. 49006

स्थान : मुंबई
तारीख : 25 नवम्बर 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता/-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
प्रशांत चुकुल
निदेशक

हस्ता/-
श्यामला पी. कुंदर
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18 नवम्बर 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2009-10		2008-09	
आय :	13				
बिक्री / दी गई सेवा और अन्य आय		4,128.51		4,905.23	
			4,128.51		4,905.23
व्यय :					
प्रचालन व्यय	14	1,546.86		1,560.23	
कर्मचारी लागत	15	4,298.43		4,225.85	
प्रशासनिक और अन्य व्यय	16	845.29		708.50	
			6,690.58		6,494.58
मूल्यह्रास पूर्व लाभ / (हानि) और ब्याज			(2,562.07)		(1,589.35)
मूल्यह्रास (नोट सं. 5, अनुसूची 20 देखें)			232.09		220.49
ब्याज	17		30.77		0.00
कर पूर्व एवं असाधारण / पूर्वावधि मदों से पहले वर्ष का लाभ / (हानि)			(2,824.93)		(1,809.84)
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (नोट सं. 25(ग), अनुसूची 20 देखें)			20.33		27.67
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	18		65.87		11.58
कर पूर्व वर्ष का लाभ / (हानि)			(2,911.13)		(1,849.09)
कर के लिए प्रावधान					
वर्तमान कर			0.00		0.00
आस्थगित कर			0.00		0.00
फ्रिंज बेनिफिट कर			0.00		12.31
कर पश्चात वर्ष का लाभ / (हानि)			(2,911.13)		(1,861.40)
पिछले वर्ष से अग्रानीत शेष			(582.73)		1,278.67
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष			(3,493.86)		(582.73)
मूल और तनुकृत प्रत्येक 100 रुपए के शेयर पर प्रति शेयर अर्जन		रु.	(71.70)	रु.	(45.85)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	19				
लेखों पर टिप्पणियां	20				

ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लाभ और हानि लेखे का अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।
हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सिंघ्रोडिया गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
श्यामरतन सिंघ्रोडिया
भागीदार
सदस्यता सं. 49006

स्थान : मुंबई
तारीख : 25 नवम्बर 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता/-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता/-
श्यामला पी. कुंदर
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18 नवम्बर 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	2009-10		2008-09	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ		(2,824.93)		(1,809.84)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	(65.87)		(11.58)	
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	(20.33)		(27.67)	
फ्रिंज बेनिफिट कर	0.00		(12.31)	
मूल्यह्रास	232.09		220.49	
प्रभारित ब्याज	30.77		0.00	
अचल परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि / (लाभ)	0.13		(0.20)	
अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	119.46		0.46	
ब्याज से आय	(109.06)		(274.28)	
		187.19		(105.09)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		(2,637.74)		(1,914.93)
निम्नलिखित में परिवर्तन :				
व्यापार और अन्य प्राप्य	916.00		2,781.39	
इन्वेंटरी	38.57		(10.82)	
व्यापार और अन्य देय	840.77		20.98	
		1,795.34		2,791.55
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		(842.40)		876.62
प्रत्यक्ष कर		(83.44)		(391.44)
असाधारण मदों से पूर्व निवल नकदी प्रवाह		(925.84)		485.18
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(925.84)		485.18
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी				
अचल परिसंपत्तियों मे / नई परियोजनाओं (निवल) में निवेश		0.37		(907.81)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से आय		(3.76)		0.20
प्राप्त ब्याज		109.06		274.28
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		105.67		(633.33)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी				
नकदी जमा में वृद्धि / (कमी)		520.26		0.00
प्रदत्त ब्याज		(30.77)		0.00
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		489.49		0.00
नकदी और नकदी समानक में निवल परिवर्तन		(330.68)		(148.15)
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समानक		1,219.25		1,367.40
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समानक		888.57		1,219.25

नोट : इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक पुनर्समूहित किया गया है।

कृते सिंघ्रोडिया गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
श्यामरतन सिंघ्रोडिया
भागीदार
सदस्यता सं. 49006

स्थान : मुंबई
तारीख : 25 नवम्बर 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता/-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता/-
श्यामला पी. कुंदर
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18 नवम्बर 2010

तुलन-पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - 1 : शेयर पूंजी :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
प्राधिकृत		
प्रत्येक रु.100/- के 41,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 41.00,000)	4,100.00	4,100.00
	4,100.00	4,100.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक रु.100/- के 40,60,000 इक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष 40,60,000) (कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा उसके नामितियों द्वारा धारित है।)	4,060.00	4,060.00
	4,060.00	4,060.00

अनुसूची - 2 : आरक्षित निधियां और अधिशेष :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
1. सामान्य आरक्षित निधियां	0.00	1,738.80
2. लाभ और हानि लेखा	0.00	(582.73)
	0.00	1,156.07

अनुसूची - 3 : रक्षित ऋण :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से (550.00 लाख रुपए की राशि की मियादी जमा को गिरवी रखते हुए यूनायटेड डिमांड लोन स्कीम के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा)	520.26	-
	520.26	-

अनुसूची - 4 : अचल परिसंपत्तियां (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर) :

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1.4.2009 को मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	31.3.2010 को मूल्य	31.3.2009 तक	वर्ष के दौरान प्रावधान	वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	31.3.2010 तक	31.3.2010 को	31.3.2009 को
भूमि (पट्टे पर)	27.09	-	-	27.09	8.14	0.28	-	8.42	**18.67**	18.95
भवन (पट्टे की भूमि पर)	3,326.81	22.46	-	3,349.27	910.79	45.77	-	956.56	**2,392.71**	2,416.02
संयंत्र और मशीनरी	2,762.01	145.78	(5.64)	2,902.15	2,084.75	97.52	(0.17)	2,182.10	**720.05**	677.26
फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, बिजली संस्थापन आदि	1,807.15	7.65	(82.26)	1,732.54	1,235.77	64.77	(2.42)	1,298.12	**434.42**	571.38
वाहन	250.72	2.28	(2.25)	250.75	100.95	23.41	(1.04)	123.32	**127.43**	149.77
कलात्मक वस्तुएं	7.74	-	-	7.74	7.22	0.34	-	7.56	**0.18**	0.52
चालू वर्ष	**8,181.52**	**178.17**	**(90.15)**	**8,269.54**	**4,347.62**	**232.09**	**(3.63)**	**4,576.08**	**3,693.46**	3,833.90
पिछले वर्ष	7,232.53	935.69	13.30	8,181.52	4,127.15	220.49	(0.02)	4,347.62	3,833.90	
चालू पूंजीगत कार्य									**20.71**	109.10

नोट : नोट सं. 5. अनुसूची 20 देखें।

भवन (पट्टे की भूमि पर) में को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के 10 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष -10 इक्विटी शेयर) का मूल्य रुपए 500/- (पिछले वर्ष - रुपए 500/-) शामिल है।

अनुसूची - 5 : निवेश :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
दीर्घावधि निवेश		
अन्य निवेश (गैर व्यापार)		
सरकारी प्रतिभूतियां		
7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा किए गए)	**0.47**	0.47
	0.47	0.47

अनुसूची - 6 : इन्वेंटरी :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
इन्वेंटरी (प्रबंधन द्वारा ली गई, मूल्यांकित तथा प्रमाणित)				
i) खाद्य एवं पेय	**20.28**		21.75	
ii) भंडार	**36.80**		73.94	
iii) प्रचालन आपूर्तियां	**171.21**		171.17	
		228.29		266.86

अनुसूची - 7 : विविध देनदार :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
विविध देनदार (अरक्षित) (नोट सं.10 और 11, अनुसूची 20 देखें)				
छह महीनों से अधिक बकाया :				
शोध्य माने गए	**289.93**		408.72	
अशोध्य माने गए	**329.59**		233.50	
	619.52		642.22	
घटाएं : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	**329.59**		233.50	
		289.94		408.72
अन्य :				
शोध्य माने गए	**405.68**		681.16	
अशोध्य माने गए	**-**		-	
		405.68		681.16
		695.62		1,089.88

अनुसूची - 8 : नकदी और बैंक शेष :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
नकदी और बैंक शेष :				
1) हाथ में नकदी				
(हाथ / ट्रांज़िट में 2.62 लाख रुपए के चैकों सहित				
- पिछले वर्ष 2.35 लाख रुपए)	**4.63**		4.37	
2) अनुसूचित बैंकों में शेष :			-	
i) चालू खातों में	**111.59**		233.58	
ii) सावधि जमा खातों में	**772.35**		981.30	
		888.57		1,219.25

अनुसूची - 9 : ऋण तथा अग्रिम :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
ऋण तथा अग्रिम (अरक्षित, शोध्य माने गए, जब तक कि अन्यथा न दर्शाया गया हो) : (नोट सं. 6, 10 और 13, अनुसूची 20 देखें)				
क) कर्मचारियों को ऋण (शोध्य माने गए)		**27.46**		24.18
ख) नकदी में या जिंस या मूल्य के रूप में वसूली योग्य प्राप्य अग्रिम :				
i) शोध्य माने गए	**1,631.14**		1,793.52	
ii) अशोध्य माने गए	**25.03**		2.97	
	1,656.17		1,796.49	
घटाएं : अशोध्य अग्रिमों के लिए प्रावधान	**25.03**		2.97	
		1,631.14		1,793.52
ग) होल्डिंग कंपनी को ऋण		-		475.00
घ) सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड से प्राप्य (नोट सं.12, अनुसूची 20 देखें)		**297.81**		297.81
ङ) ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड से प्राप्य (नोट सं.12, अनुसूची 20 देखें)		**42.72**		42.72
च) प्राप्य आर्थिक सहायता		**62.75**		74.14
छ) सार्वजनिक निकायों तथा अन्य के पास जमा		**61.13**		56.83
ज) अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती और फ्रिंज बेनिफिट कर		**1,932.51**		1,849.07
		4,055.52		4,613.27

अनुसूची - 10 : चालू देयताएं :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
चालू देयताएं				
विविध लेनदार (नोट सं.10, अनुसूची 20 देखें)	**982.75**		389.93	
ग्राहकों से अग्रिम	**69.02**		13.74	
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	**54.72**		38.20	
प्रतिभूति और अन्य जमा	**280.86**		279.84	
अन्य देयताएं (नोट सं. 6, अनुसूची 20 देखें)	**2,674.25**		2,652.35	
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए देय (नोट सं. 25 क और ख, अनुसूची 20 देखें)		**233.43**		291.05
		4,295.03		3,665.11

अनुसूची - 11 : प्रावधान :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
प्रावधान				
उपदान	1,802.60		1,669.75	
छुट्टी का नकदीकरण	605.91		527.42	
कराधान (एफबीटी)	52.89		52.89	
संपत्ति कर	1.00		1.49	
		2,462.40		2,251.55

अनुसूची - 12 : लाभ और हानि लेखा (नामे शेष) :

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
लाभ और हानि लेखे का शेष	3,493.86		-	
घटाएं : सामान्य आरक्षित निधि	1,738.80		-	
		1,755.06		-

लाभ और हानि लेखे के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - 13 : बिक्री / दी गई सेवा और अन्य आय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2009 - 10		2008 - 09	
1. होटलों और फ्लाइट किचन से राजस्व				
क) कमरे - अतिथि आवास	1,783.47		2,061.97	
ख) भोजन, सिगार और सिगरेट (नोट सं. 7, अनुसूची 20 देखें)	1,881.86		2,094.67	
ग) पेय (वाइन और लिकर)	17.80		20.24	
घ) टैलेक्स और टेलीफोन	7.67		15.42	
ङ) अन्य सेवाएं (नोट सं. 7, अनुसूची 20 देखें)	174.92		346.59	
च) दुकानों और कार्यालयों का लाइसेंस शुल्क	97.28		70.70	
		3,963.00		4,609.59
2. अन्य आय				
क) बेची गई / स्क्रैप की गई अचल परिसंपत्तियों पर लाभ		0.58		0.20
ख) ब्याज (सकल)				
(स्रोत पर काटा गया कर - 2.85 लाख रुपए - पिछले वर्ष 40.87 लाख रुपए)				
होल्डिंग कंपनी (नैसिल) के ऋण पर	5.36		198.19	
आय कर वापसी पर	34.78		-	
कर्मचारी ऋणों पर	0.49		0.49	
सावधि जमा पर	68.43		75.60	
		109.06		274.28
ग) प्रावधान अब आवश्यक नहीं, प्रतिलेखित		14.15		7.36
घ) विदेशी मुद्रा में अंतर		0.86		1.13
ङ) विविध आय		40.86		12.67
		4,128.51		4,905.23

अनुसूची - 14 : प्रचालन व्यय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2009 - 10		2008 - 09	
1. उपभुक्त खाद्य सामग्री				
(सिगार और सिगरेट सहित)				
प्रारंभिक स्टॉक	**17.23**		22.34	
जोड़ें : खरीद	**724.60**		665.05	
	741.83		687.39	
घटाएं : अंतिम स्टॉक	**16.46**		17.23	
		725.37		670.16
2. पेय (वाइन और लिकर)				
प्रारंभिक स्टॉक	**3.18**		4.06	
जोड़ें : खरीद	**2.81**		4.29	
	5.99		8.35	
घटाएं : अंतिम स्टॉक	**3.82**		3.18	
		2.17		5.17
3. भंडार तथा आपूर्तियों की खपत		**44.46**		39.98
(वसूलियों का निवल 31.03 लाख रुपए (पिछले वर्ष 35.36 लाख रुपए))				
4. ऊर्जा, ईंधन, बिजली और जल प्रभार		**752.45**		816.61
5. सॉफ्ट फर्निशिंग		**22.41**		28.31
		1,546.86		1,560.23

अनुसूची - 15 : कर्मचारी लागत :

(लाख रुपए में)

विवरण	2009 - 10		2008 - 09	
वेतन, बोनस, छुट्टी नकदीकरण और उपदान		**3,703.16**		3,599.20
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		**322.66**		309.24
कल्याण तथा अन्य (वसूलियों का निवल शून्य रुपए (पिछले वर्ष 0.09 लाख रुपए))		**272.61**		317.41
		4,298.43		4,225.85

अनुसूची - 16 : प्रशासनिक और अन्य व्यय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2009 - 10		2008 - 09	
1. किराया एवं लाइसेंस शुल्क (नोट सं. 2क अनुसूची 20 देखें)		181.95		203.11
2. दरें और कर		60.23		44.47
3. मरम्मत और अनुरक्षण				
भवन	68.94		40.68	
संयंत्र तथा मशीनरी	61.46		53.12	
अन्य	39.81	170.21	65.21	159.01
4. यात्रा एवं सवारी				
यात्रा	7.36		8.87	
सवारी	19.69		18.99	
वाहन व्यय	36.52	63.57	40.60	68.46
5. अतिथि परिवहन व्यय		12.86		16.64
6. मुद्रण और लेखन सामग्री		22.59		21.59
7. संचार लागत		19.77		22.31
8. बीमा		12.57		17.55
9. कमीशन		4.40		6.04
10. विज्ञापन एवं प्रचार		15.71		11.69
11. प्रतिभूति प्रभार		105.01		64.85
12. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		31.82		35.88
13. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक				
क) लेखापरीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित)	1.57		1.57	
ख) यात्रा व्यय	0.59	2.16	0.58	2.15
14. विविध व्यय		22.27		34.29
15. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री / स्क्रैप करने पर हानि		0.71		-
16. अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान		119.46		0.46
		845.29		708.50

अनुसूची - 17 : वित्तीय प्रभार :

(लाख रुपए में)

विवरण	2009 - 10	2008 - 09
अरक्षित ऋणों पर ब्याज	30.12	-
अन्य पर ब्याज	0.65	-
	30.77	-

अनुसूची - 18 : पूर्वावधि व्यय / आय :

(लाख रुपए में)

विवरण	2009 - 10	2008 - 09
I. व्यय		
1. कर्मचारी लागत	8.88	2.01
2. मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	2.13
3. विविध व्यय	1.52	7.44
4. मूल्यह्रास	(2.55)	-
	7.85	11.58
II. आय		
1. कमरों से राजस्व	0.54	-
2. दुकानों का किराया	0.97	-
3. ब्याज	(59.53)	-
	(58.02)	-
III. पूर्वावधि मदें (निवल)	65.87	11.58

अनुसूची - 19 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां :

1. <u>सामान्य</u>

लेखे, सतत सरोकार के आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

2. <u>आय और व्यय की मान्यता</u>

2.1 हेल्थ क्लब से होने वाली आय, जिसका लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है, को छोड़कर, आय और व्यय का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

2.2 विक्रय की राशि में, ग्राहकों के बीजकों की राशि, निवल व्यापारिक छूट शामिल है।

3. <u>अचल परिसंपत्तियां</u>

3.1 अचल परिसंपत्तियां ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं।

3.2 अधिक वर्षों तक चलने वाली संविदाओं के मामले में, लागत अनुमानों में हुए संशोधन उस लेखा अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें संशोधन मूर्त होते हैं।

3.3 पट्टेवाली भूमि को पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

4. <u>मूल्यह्रास</u>

4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, पट्टे की अवधि को ध्यान में रखे बगैर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर एवं उसी रूप में स्ट्रेट लाइन पद्धति से आनुपातिक आधार पर उनके समाहित किए जाने के महीने से किया जाता है, परंतु निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर :

क) 1 अप्रैल, 1982 से पूर्व प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में, अचल परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी काल की दर पर।

ख) 1 अप्रैल, 1982 से 2 अप्रैल, 1987 तक प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों पर।

4.2 वर्ष के दौरान रुपए 5,000/- से कम लागत की खरीदी गई/स्थापित परिसंपत्तियों को उनके खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

5. <u>परिशोधन</u>

5.1 नए यूनिट के लिए पहली बार खरीदे गए किचन उपकरण चार वर्षों में समान रूप से बट्टे खाते में डाले गए हैं । इसके बाद लिए गए उपकरण खरीद के वर्ष में बट्टे खाते में डाले गए।

5.2 नए यूनिट/बृहत् नवीकरण हेतु पहली बार खरीदे गए कालीन खरीद के वर्ष में अचल परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किए गए हैं तथा ऊपर पैरा 4 में निर्देशित स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रासित किए गए हैं । परवर्ती वर्षों में खरीदे गए कालीन, खरीद के वर्ष में सॉफ्ट फर्निशिंग के रूप में बट्टे खाते में डाले गए।

5.3 भारी परदे, जारी करने के वर्ष में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

6. <u>निर्माण अवधि के दौरान व्यय का निरूपण</u>

सभी राजस्व व्यय, जो कि निर्माणाधीन परियोजनाओं से सीधे संबंधित हैं, उन्हें निर्माण के दौरान व्यय के रूप में अलग रखा जाता है और जिस वर्ष के दौरान उन परिसंपत्तियों का उपयोग शुरू किया जाता है, उस वर्ष में पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

7. <u>विदेशी मुद्रा संव्यवहार</u>

7.1 विदेशी मुद्रा शेष को, तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

7.2 चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं से संबंधित विनिमय अंतर को लाभ और हानि लेखे में अंतरित किया जाता है।

7.3 विदेशी मुद्रा में संग्रहण लेन-देन को, बैंक में जमा करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के हिसाब से रुपए में परिवर्तित किया जाता है।

8. <u>इन्वेंटरी का मूल्यांकन</u>

वस्तुओं के खराब होने की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन कमरों तथा आउटलेटों में लिनेन, कटलरी तथा क्रॉकरी के मामले में ऐसा नहीं किया जाता है और इनका मूल्यांकन उपयोग की अवधि को ध्यान में रखे बगैर लागत पर किया जाता है।

9. **सेवानिवृत्ति लाभ**

9.1 उपदान और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की गणना कंपनी द्वारा योजना की घोषणा के वर्ष और कर्मचारियों द्वारा उसे स्वीकार करने के वर्ष में की जाती है।

10. **निवेश**

सभी दीर्घावधि निवेश, यदि कोई हो तो, के मूल्य में स्थायी ह्रास कम कर, लागत पर दर्शाया गया है। वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन लागत के निम्नतर या सही बाज़ार मूल्य पर किया जाता है।

11. **देयताएं और प्रावधान**

11.1 कंपनी, विवाचन के अधीन दावों को प्रासंगिक देयता के रूप में मानती है।

11.2 कंपनी के विरुद्ध दिए गए विवाचन के अधिनिर्णय के व्यय को, जिनके लिए अपील को अधिमान्यता दी गई है, अंतिम निपटान के वर्ष में लेखाकृत किया गया है।

11.3 विभिन्न प्राधिकरणों/पक्षकारों से प्राप्त कारण बताओ नोटिसों को प्रासंगिक देयताएं नहीं माना जाता है। तथापि, जब ऐसी नोटिसों के मुकाबले मांग-सूचनाएं भेजी जाती हैं व यदि कंपनी स्वीकार लेती है, तो इन मांगों को या तो अदा कर दिया जाता है या उन्हें देयताए मान लिया जाता है और जब कंपनी इन्हें विवादित मानती है, तो उन्हें प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

11.4 बकाया वर्तमान देयताओं का आवधिक तौर पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा तीन वर्षों से अधिक बकाया, अगर भुगतान योग्य न समझा जाए, तो उसे अन्य आय में अंतरित किया जाता है।

12. **पूर्वावधि समायोजन**

केवल रुपए 25,000/- प्रति लेन-देन से अधिक के मामलों में, पूर्व वर्ष(षों) से संबंधित व्यय/आय को, पूर्वावधि मदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

13. **अशोध्य ऋणों के लिए गणना**

सरकार, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों का प्रावधान केवल तब किया जाता है, जब वे विशिष्ट रूप से अशोध्य समझे जाते हैं। अन्य सभी ऋणों का प्रावधान किया जाता है, यदि वे 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं या विशिष्ट रूप से अशोध्य हैं।

14. **करापान के लिए गणना**

14.1 संबंधित अवधि के लिए कर योग्य आय हेतु देय कर की राशि के रूप में चालू कर निर्धारित किया गया है।

14.2 एक अवधि में आरंभ होकर एक या अधिक परवर्ती अवधियों में उत्क्रमण योग्य, कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच समय अंतरों पर आस्थगित कर को मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की, विवेक के अधीन पहचान की जाती है और उन्हें यथोचित सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है, ताकि इस बात की उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सके। यह लेखाकरण मानक-22 "आय पर करों के लिए लेखाकरण" के अनुसार है।

15. **आकलनों का प्रयोग**

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आकलन और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, आय और व्यय की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणामों एवं आकलनों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम मैटिरियलाइज़ होते हैं।

16. **अचल परिसंपत्तियों की क्षति**

कंपनी इस संकेत को ध्यान में रखते हुए अचल परिसंपत्तियों की क्षति का प्रावधान निर्धारित करती है कि क्षति आईसीएआई द्वारा परिसंपत्तियों की हानि पर जारी लेखाकरण मानक 28 के अनुसार हो सकती है, जहां किसी अचल परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि उसके वर्तमान मूल्य से कम है, तो अचल परिसंपत्तियों की हानि के अंतर के लिए प्रावधान किया जाता है।

अनुसूची - 20 : लेखों पर टिप्पणियां :

31 मार्च, 2010 के तुलन-पत्र और 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे के भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां

		2009-10 लाख रुपए में	2008-09 लाख रुपए में
1.	निम्नलिखित के संबंध में प्रासंगिक देयताएं :		
क)	कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	292.99	301.74
ख)	विवाचन के अधीन दावे :		
i)	सेंटॉर होटल, जुहू बीच के क्रेता मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड ने निवल चालू परिसंपत्तियों के लिए 3.33 करोड़ रुपए का प्रतिदावा किया है, जिसे कंपनी द्वारा विवादित माना गया है, क्योंकि निवल चालू परिसंपत्तियों तथा क्रेता की अन्य बाध्यताओं का निपटारा तारीख 11.3.2002 के बिक्री करार की शर्तों के अनुसार होना था तथा इस मामले में कथित करार के अनुसार, क्रेता द्वारा 0.43 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है और तदनुसार, उसे निवल चालू परिसंपत्तियों के लेखे में प्राप्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि, कुछ मुद्दों पर मतैक्य नहीं था, इसलिए अधिनिर्णय के बारे में नागर विमानन मंत्रालय को लिखा गया था। उनकी सलाह के अनुसार इस मामले को कंपनी और मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड (पहले मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा।		
ii)	सेंटॉर होटल, मुंबई एअरपोर्ट के क्रेता मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लि. (पहले मैसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि. के नाम से जाना जाता था) की निवल चालू परिसंपत्तियों के लिए 2.36 करोड़ रुपयों के प्रतिदावे को कंपनी ने विवादित माना था, क्योंकि निवल चालू परिसंपत्तियों और क्रेता की अन्य बाध्यताओं का निपटान 18.4.2002 के बिक्री करार की शर्तों के अनुसार होना था। इस मामले में करार के अनुसार क्रेता द्वारा 2.98 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जाना है और तदनुसार निवल चालू परिसंपत्तियों के लेखे में प्राप्य राशि के रूप में उसे दर्शाया गया है। ऐसे दावों और प्रतिदावों के निपटान के लिए मामला माननीय विवाचन अधिकरण में लंबित है।		
iii)	कंपनी के विरुद्ध हुए अधिनिर्णय, जिनमें अपील की गई है और उनका निपटान बाकी है।	10.62	10.62
ग)	सीमाशुल्क प्राधिकरणों को दी गई गारंटियां	3.00	3.00
घ) i)	आयकर प्राधिकरणों के दावे, जिनके लिए विभाग ने अपील की है।	29.09	29.09
ii)	आयकर प्राधिकरणों के दावे, जिनके लिए कंपनी ने अपील की है।	665.93	665.93
iii)	विवादित बिक्री कर देयता, जिसके लिए कंपनी ने अपील की है।	2,360.98	846.99
iv)	सुख-साधन कर प्राधिकरणों के दावे, जिनके लिए कंपनी ने अपील की है।	201.46	492.60
v)	मूल्यांकन वर्ष 1997-98 के लिए व्यय कर, जिसके लिए कंपनी ने अपील की है।	3.74	3.74
vi)	संपत्ति कर का दावा, जिसके लिए कंपनी ने अपील की है।	568.47	568.47
vii)	कर्मचारी राज्य बीमा के दावे, जिनके लिए कंपनी ने अपील की है।	3.23	3.23

	ङ) कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे	**राशि अनिर्धारित**	राशि अनिर्धारित
	च) सेवा कर विवरण फाइल न करने के कारण लगाया गया दंड	**राशि अनिर्धारित**	राशि अनिर्धारित
2.	क) वर्ष के दौरान, रु.163/- प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टा किराया और आवर्त लेवी के रूप में निम्नलिखित को देय राशि का प्रावधान लाभ और हानि लेखे में किया गया है :		
	i) शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई के लिए मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को	**47.23**	50.00
	ii) सेंटॉर होटल, दिल्ली एअरपोर्ट और शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) को	**125.92**	132.89
	ख) निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं किया गया है :		
	i) 2.5.2006 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय पट्टा किराया और आवर्त लेवी	**2,027.67**	2,027.67
	ii) शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई के लिए 3.5.2006 से मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को देय पट्टा किराए का अंतर	**39.76**	28.69
	iii) सेंटॉर होटल, दिल्ली एअरपोर्ट एवं शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली के लिए 3.5.2006 से दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) को देय पट्टा किराए का अंतर	**160.04**	106.32
	iv) उपर्युक्त पर ब्याज	**राशि अनभिनिश्चित**	राशि अनभिनिश्चित
3.	पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम संग्रहण)	**0.00**	0.35
4.	कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में 69.70 लाख रुपयों (पिछले वर्ष 69.70 लाख रुपए) की जमा राशि लौटाने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था, जो 07.03.2006 के आदेश द्वारा चलाने योग्य न होने के कारण खारिज किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार पक्षकारों के बीच कोर्ट के बाहर समझौता हो गया है और अप्रैल, 2009 में 69.65 लाख रुपए की मूल राशि दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा कंपनी को वापस की गई।	**0.00**	69.70
5.	वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान, सेंटॉर होटल, दिल्ली एअरपोर्ट के 127 अतिथि कमरों का नवीकरण एवं अन्य संबंधित कार्य आरंभ किया गया तथा 2008-09 में पूरा किया गया। संविदाकार के अंतिम पूर्व बिल के आधार पर 31 मार्च, 2009 तक क्रमशः 2.14 करोड़ रुपए और 6.93 करोड़ रुपए की सीमा तक अनंतिम पूंजीकरण किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान, संविदाकार के प्रमाणित अंतिम बिल के आधार पर इसी क्रम में 32.48 लाख रुपए की सीमा तक पूंजीकरण (पिछले वर्षों में फर्नीचर और फिक्सचर के तहत 78.60 लाख रुपए के अतिरिक्त पूंजीकरण का निवल) किया गया। तदनुसार मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया।		
6.	नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, 1.1.2002 से सेंटॉर होटल, दिल्ली, शैफेयर, दिल्ली एवं सेंटॉर होटल, श्रीनगर एवं 15.11.2002 से शैफेयर, मुंबई के यूनियन श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते संबंधी बातचीत पूरी हो गई थी। लेखा-बहियों में सभी यूनिटों के लिए किए गए 21.98 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रावधान में से कंपनी ने संपूर्ण राशि संवितरित की और सेंटॉर, दिल्ली और श्रीनगर के लिए 11.53 करोड़ रुपए तक की देयता राशि का निपटान किया। तथापि, शैफेयर मुंबई, शैफेयर दिल्ली और भोजन सुविधा केन्द्र, मुंबई के यूनियन श्रेणी के कर्मचारियों को शेष 2.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.68 करोड़ रुपए) की अंतिम किश्त संवितरित करना अभी बाकी है।		